

# फर्द अहकाम

जगमाल बनाम तखीलजाट

नाम न्यायालय दार्जिलिंग जिला अदालत कोलकाता

केस संख्या 34/2020

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	10.8.20	<p>पतावली पेशादारी वकील अमीलान्त अजुण्डे/ उबरण के (उपरोक्त) के तथ्य दखलवादी के कार्यालय न्यायालय तखीलजाट कोलकाता द्वारा फर्द अहकाम जगमाल 30.7.65 अग्रहस्त 91 पर 1956 के अर्द्ध कार्यकारी के दिनांक 22-7-20 को गौतमपत्तन जगमाल वर्ग 1 निवासी के को न्यायालय को अर्द्धाधीन घोषित करने हुए गौतमपत्तन पश्चातवती अर्द्धाधीन घोषित के तीन-तीन माह की (विशेष) करावक के द्वारा के उचित दिने जाने, अर्द्धाधीन के देहरवी के तथ्यालय के पंचांगपुष्पा पेशादारी के आदेश पारित (बिधे गये) तखीलजाट कोलकाता द्वारा पारित आदेश 22-7-20 आदत आदत नं 554 (बिधे) को उर रास्ता में गौतमपत्तन/अमीलान्त/उबरण अर्द्धाधीन आदत आदेश पारित दिने जाने है उक्त अर्द्धाधीन के तथ्य अमीलान्त/उबरण द्वारा जारि वकील अमील पेशादारी के उबरण के (उपरोक्त) जिला कोलकाता उबरण दर्ज राजीस्टर (विधा) फर्द के को निर्यातकर तथ्यी ही समग्र नोटीस जारी हुए वक्त तामील समग्र नोटीस जारि होने पर समग्र पतावती (बिधे गये) वकील अमीलान्त/उबरण द्वारा उक्त</p>	





# फर्द अहकाम

जोगमायका बनाम तहसीलदार

म. न्यायालय

कोर्ट जिला कलक्टर जयपुर

स संख्या

34/2020

म संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>मुताबिक फर्द नोंका डिपोई सिंगंड 10.8.20 के अनुसार नोंके पर सिंगंड 14.2.18 से लगाये गये सीमा चिन्ही (सीमेट के पीपर) के आधार पर अतिरिक्ती जोगमाय को द्वारा कृषि रूप के अतिरिक्ती नही हसमाये नोंके पर कुछ जोगाट इसा, पत्का इत्यक अतिरिक्ती होना पाया गया है जुबि फर्द नोंका डिपोई के मुताबिक अपीलारक/अपीलिंग का अहम नोंके पर अतिरिक्ती है इनालेइ अपीलारक की अपील चिह्न (बिना पांग उचित उचित नही होये) इनालेइ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के कृतीद्वारा पास्ति अडिश्य बाकत (58 नं. 554) (बिड नोंके पर रास्ता मु नं. 65/20 व उनवाग लिक्ल वनाड लिक्ल वनाड जोगमाय को के पास्ति बिना जमा / निणदि 22.7.20 से प्रभावत रखा जाना न्यायोचित एवं (बिधी हसमत है)</p> <p>अतः उपरोक्त बिबेचन के फलस्वरुप अपीलार द्वारा उल्लुत सिंगंड अपील श्वारिद सिपाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोर्टकी द्वारा मु नं. 65/20 व उनवाग लिक्ल वनाड जोगमाय को के पास्ति निणदि सिंगंड 22/20 से प्रभावत रखा जात है) तहसीलदार को उक्त पास्ति अडिश्य/निणदि सिंगंड प्रकाशीत तहसीलके साथ बिपवाए पाके) एगावती के हत भुमाएके इ नमर से कम होइ दाखीत दमर हो) निणदि सने इफलास हु नमागाम</p>	

अति. जिला कलक्टर  
कोटपूतली (जयपुर)